"स्वतंत्रता के उपरान्त महिलाओं की स्थिति"

- भारतीय लोकतंत्र में अथवा भारतीय समाज में कहें तो स्त्रीयों की स्वायत्ता व स्वतंत्रता बिना शिक्षा के कहीं ना कहीं अधूरा है।

स्वतंत्रता और स्वायत्ता में अन्तर :

स्वतंत्र रहना या स्वतंत्र होने का मतलब है की हम किसी के अधीन ना रहकर अथवा कहें तो धर्मनिरपेक्ष, समाजनिरपेक्ष व पंथनिरपेक्ष रहकर या कहें तो सरकार-निरपेक्ष रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र भी व स्वायत्त भी हैं।

वही दूसरी ओर स्वयत्ता से तात्पर्य है की कोई संस्था या एजेंसी स्वतंत्र तो है पर आंशिक रूप से, इस बात का आशय यह है की "आंशिक रूप से स्वतंत्रता का दूसरा पहलू स्वायत्ता है। उदाहरणार्थ: राष्ट्रीय महिला कोषांग स्थापित सन् 1993, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इत्यादि इसी प्रकार हैं।

भारत में सर्वप्रथम महिलाओं के परिप्रेक्ष्य/परिदृश्य में सुधार लाने हेतु सन् 1948-1949 में राधाकृष्णन आयोग जो महिलाओं की उच्च शिक्षा पर सुझाओं/सुझाव देने के लिए बनाया गया। उस समय समाज में स्त्रीयों की शिक्षा इतनी बदहाल थी की स्त्रीयों का उत्थान बिना सर्वप्रथम शिक्षा के हासिल नहीं किया जा सकता था। यही राधाकृष्णन आयोग ने सर्वप्रथम समाज में महिलाओं की शिक्षा को मेंद्दनजर रखते हुए स्थापित किया गया। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा को गम्भीरता से लेते हुए इनके उत्थान के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दिये। थे सुझाव कुछ इस प्रकार हैं।

1. स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा एक जैसे ना होकर स्त्रीयों के अभिरुची अनुसार होने चाहिए।
2. महिला तथा पुरुष अध्यापकों को समान वेतन।
3. बालिकाओं के लिए शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन की समुचित व्यवस्था।
4. कॉलेज स्तरों पर सह-शिक्षा को प्रोत्साहन। सह शिक्षा (co-Education)
5. स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि करने हेतु उनको शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करवाना।

Ajanta Oxford